अध्यक्ष महोदय : दंडपाणि जी ने अभी बताया है, आपका ही बताया है ।

He has told me about you.

SHRI M. KANDASWAMY: Sir, it is a question of maintenance of law and order in the area and avoidance of clash.

MR. SPEAKER: Let me see.

12.16 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

12.18 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1982-83

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budet (Railways) for 1982-83.

12.19 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commeancin 26th July, 1982, will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of:

(a) The Land Acquisition (Amendment) Bill, 1982.

(b) The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Bill, 1981.

(c) The Special Courts (Repeal) Bill, 1981. as passed by Rajya Sabha.

(d) The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Cess (Amendment) Bill, 1982.

(e) The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1982.

(f) The Road Transport Corporations (Amendment) Bill, 1981.

(g) The Payment of Wages (Amendement) Bill, 1982, as passed by Rajya Sabha.

(h) The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill, 1982, as passed by Rajya Sabha.

(i) The Charitable Endowments (Amendment) Bill, 1982.

(j) The Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1982.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य-सूची की मद संख्या 5 के अन्तर्गत अगले सप्ताह में निम्नलिखित अत्यावश्यक विषयों पर बहस चाहता हूं ।

बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं देश के विभिन्न भागों में भयंकर सूखे के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है । सूखे के कारण फसल सूख रही है, नहरों तथा राजकोथ नलकूपों से सिंचाई कार्य ठप्प है । धान तथा मकई की फसल प्राय: समाप्त हो चुकी है । कुओं और तालाबों में भी पानी सूख गया है । किसान सूखे के मारे चिन्तित हैं । खेतिहर मजदूरों को सूखे के कारण काम नहीं मिल रहा है । फलस्वरूप वे भूखों मर रहे हैं । कुल मिलाकर पूरा देश अकाल की चपेट में है ।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार अगले सप्ताह सूखे से उत्पन्न अकाल की स्थिति एवं जनता को राहत कार्य देने हेतु सदन में अविलम्ब चर्चा कर ली जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

(2) सरकार ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके 28 संगठन को विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया है । हम कतई नहीं चाहते कि हमारे देश के राजनीतिक दल अथवा कोई अन्य संगठन अपना काम चलाने के लिए विदेशी धन स्वीकार करें लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सरकार को अधिसूचना जारी कर कतिपय संगठनों पर विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

इससे कई गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं । क्या सरकार के पास ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह पता चले कि ये संगठन विदेशी

धन प्राप्त कर रहे थे या प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहे थे ? यदि ऐसी बात है तो सरकार को सदन को बताना चाहिए । जिस प्रकार इन संगठनों के नाम गिनाए गए उससे ऐसा लगता है सरकार कुछ संगठनों को बदनाम करना चाहती है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं कि युवा लोक दल को इन संगठनों में शामिल करना युवा लोक दल को बदनाम करना है । युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मन्त्री को पत्र लिख कर युवा लोक दल को इन संगठनों में शामिल करने का घोर प्रतिवाद किया है तथा राजनीतिक दलों को धन प्राप्ति के सम्बंध में निष्पक्ष जांच की मांग की है । यह गम्भीर मामला है । अत: सदन में इसपर बहस कर ली जाए ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I want the following two matters to be included in the business for the next week.

One is the erosion of land by the Ganga .The erosions of land by the Ganga in Murshidabad district of West Bengal have now assumed alarming proportions. The matter causes deep concern for the people and the Government of West Bengal.

According to the State Minister of Irrigation, Governmet of West Bengal, severe erosion on the right bank of the Ganga over a stretch of 94 km. down stream of Farakka, has been resulting is a loss of Indian territory and a consequent gain in Bangladesh. Between 1931 and 1978, it is estimated, India lost 25000 hectares of land to the neighbouring country because of erosion, and another 2400 hectares after 1978 flood.

The erosion is of so much alarming proportions that the Ganga is likely to meet the Feeder Canal of the Bhagarathi river soon. This, if not checked now, may even damage the railway track and national highway. The very purpose of the Farakka will thus be lost.

Irregular discharge from the Farakka barrage, it is felt, is largely responsible for the erosion. The Ganga flows on two channels down stream of Farakka. Irregular discharge of water from the barrage caused the silting of the left channel forcing the water in an increasing quantity through the right channel resulting in large scale erosion.

The protection against this constant erosion has, therefore, assumed utmost urgency.

The State Government of West Bengal, it may be recalled, submitted to the Ganga Flood Control Commission (GFCC) a Rs. 98 crore plan for taking up various projects to check erosion of the Ganga in 1980, on the basis of the recommendations of Pritam Singh Committee Report.

Incidentally, it may further be recalled that in 1959, a Committee was appointed under the chairmanship of Shri Man Singh to suggest measures for flood and erosion control of the entire river basin. Although the Committee submitted its report in 1960, nothing was done by the State Government for 15 years. If meausres were taken on the basis of that report, the floods of 1978 could have been avoided.

The Central Government seems to have failed to grasp the actual magnitude of the problem. They now advise the State Government to take necessary steps to check the erosion, ignoring the fact that, it is sheer impossibility for the State Government to embark upon such huge and costly anti-erosion project of their own primarily because of heavy financial constraints. Even funding of the recast project of Rs. 19 crores to save the vulnerable spots of erosion is beyond the capacity of the State Government.

As the situation exists now, the Central Government should take upon itself to finance the recast proejct as a short-term measure and also approve the Rs. 198 crore project submitted by the State Government in 1980, without further delay as a long term anti-erosion measure to save the people of district.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Miniser must have been convinced by now. I hope you have mentioned about both the subjects.

SHRI CHITTA BASU: Only one. Two is the food and drought situation in the country. Several States in the country including West Bengal are under the grip

of a long spell of drought, unprecedented one, as described by many.

Supply of food to the drought affected places is irregular adding to the miseries of the people. Public distribution system has collapsed or is likely to collapse soon. Financial assistance to the States from the Centre has become uncertain, particularly after the new package decision of the Government of India regarding the overdrafts by the States.

Reports of food-riots are coming from the different areas. All these are matters of deep anguish and concern.

A discussion on the above two subjects in the next week is called for.

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं दिनांक 26-7-1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कराना चाहता हूं --

1. आज देश में नागरिकों को न्याय मिलने में अप्रत्याशित रूप से विलम्ब हो रहा है। गत एक दशक से अधिक समय से उच्च-न्यायालयों में 14000 से अधिक तथा सर्वोच्च न्यायालय में दो हजार से अधिक मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। न्याय में यह विलम्ब नागरिकों को न्याय से वंचित रखना है। न्याय में विलम्ब के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में एक लम्बी अवधि से न्यायाधिपतियों के स्थान रिक्त हैं। वर्तमान समय में भी सम्भवत: उच्च न्यायालयों में 90 तथा सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधिपतियों के स्थान रिक्त हैं।

अतएव, मान्यवर, इस सदन में इस विषय पर विचार होना चाहिए तथा न्याय प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर न्याय को शीघ्र सर्व-सुलभ बनाया जाना चाहिए।

2. आज देश में बड़े पैमाने पर अनधिकृत विदेशी धन राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को विस्तृत एवं गहरा कर रहा है। समय-समय पर ऐसे तथ्य प्रकाश में आते रहे हैं कि विदेशी धन किस प्रकार हमारे राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर के हमारी मान्यताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहा है। अनधिकृत विदेशी धन विभिन्न माध्यमों से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने में सक्रिय रहा है। चाहे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विध्वंसात्मक हरकतें हों, धर्म-परिवर्तन के मामले हों, कुछ राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता की बात हो, देश को कमजोर बनाने में संलग्न ताकतों की धन-पूर्ति का मामला हो, दिन-प्रति-दिन विदेशी धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

सरकार ने अभी कुछ संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता लेने पर प्रतिबन्ध लगाया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन संगठन किस देश से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है।

मान्यवर, यह एक गंभीर विषय है। इस पर सदन में विचार होना चाहिए तथा ऐसे उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए, जिस से अनधिकृत विदेशी धन की राष्ट्र-विरोधी हरकतों को नियंत्रित किया जा सके।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Sir, the Bombay suburban service is in a complete mess because of the shortage of trains and obsolete equipment. I want a fulfledged discussion on this for the purpose of suggesting solutions to the Government on the problem.

Secondly, the Pension Act needs to be amended to give relief to poor pensioners. The Sixth Lok Sabha Petitions Committee's recommendation should be implemented in toto. The Government should come forward with necessary amendments in keeping with the Minister of State for Parliamentary Affairs' assurances to the Lok Sabha during the discussion on the Private Member's (Shri Vithal Gadgil) Bill.

On both these points there should be discussion in the next week.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न दो मुद्दे सम्मिलित कराने के लिए वक्तव्य देना चाहता हूं ।

1. देश में भयंकर सूखा पड़ जाने से खेती पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और अकाल की स्थिति बहुत क्षेत्रों में आ गई है । सरकारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं व चावल की मात्रा में राशन कार्डों पर दुगुनी वृद्धि होनी चाहिए । अनाज के बदले काम योजना को तुरन्त ही लागू कर दिया जाय । इस के अलावा देहाती क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली प्रति दिन की व्यवस्था की जाय ताकि सिंचाई हो सके और राहत कार्य अतिशीघ्र शुरू किए जांय । समस्त लगान, कर्जे व अनुदानों की वसूली आदि किसानों व मजदूरों से व कमजोर वर्गों से तुरन्त रोक दी जांय ताकि सूखे व अकाल से पीड़ित किसान, मजदूर व कमजोर वर्गों के लोगों को राहत मिल सके ।

2. देश में अनुसूचित जाति व जनजाति को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस को भलीभांति लागू नहीं किया जा रहा है । यह सारा आदेश केवल कुछ सरकारी आदेशों के आधार पर ही चल रहा है । अधिकारीगण इन देशों की बराबर अवहेलना कर रहे हैं जिस से कमजोर वर्ग के लोगों को हानि उठानी पड़ रही है और जो अवसर संविधान के आरक्षण के अनुसार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है । सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण संबंधी एक बिल तैयार कर एक कानून बनाए और आरक्षण की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाए ।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए दो सुझाव संसदीय कार्य मंत्री जी को देना चाहता हूं ।

मध्यपूर्व के देशों में तेल के कुओं की खोज से प्राप्त अकूत धन सम्पत्ति से बने कुछ नव धनाढयों के लिए भारत ऐयाशी का मुख्य आकर्षण बन गया है । बम्बई और हैदराबाद उन की ऐयाशी के मुख्य अड्डे हैं । इन नगरों में ऐसे संगठित रैकेट बन गये हैं जो निर्धन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नकद रुपये और उन की पुत्री के वैभवमय भविष्य का लालच दे कर कमसिन लड़कियों का निकाह ऐसे ऐयाश विदेशियों से कराकर कमीशन की अच्छी खासी रकम डकारते हैं । मध्यपूर्व के ये विदेशी कुछ समय तक यहीं रह कर अपनी भारतीय पत्नी के साथ कुछ समय मौज-मस्ती में बिता कर अपनी पत्नियों को मझधार में छोड़कर अपने देश लौट जाते हैं । कुछ दिनों पहले तक वे अपनी पत्नियों को अपने देश ले जाते थे, जहां के प्रतिकूल वातावरण में न तो वे अपना सामंजस्य बिठा पाती थीं, न उन्हें सामाजिक मान्यता मिलती थी । इसके अतिरिक्त उन देशों में भारतीय लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने की कुछ घटनाएं भी प्रकाश में आईं, जिस से शादी कर भारतीय लड़कियों को मध्यपूर्व के देशों में ले जाने में कानूनी पाबन्दी बढ़ा दी गई, किन्तु इस धंधे में लगा रैकेट इतना चालाक है कि कानून को चकमा देने की नई नई तरकीबें ढूंढ लेता है तथा प्रशासन हाथ मलता रह जाता है । अब इन सब झंझटों से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने कन्ट्रैक्ट मैरेज का तरीका ढूंढ निकाला है, जिस में विवाह के समय ही तलाकनामा तैयार कर लिया जाता है । और एक निश्चित अवधि के बाद पत्नि के हाथ में पकड़ा दिया जाता है । इस कु-प्रथा को रोकने के लिये एक सुझाव यह है कि शादी करने वाले मध्यपूर्व से आये विदेशियों से निकाह से पूर्व 25 हजार रुपये की नकद जमानत ली जाए और तलाक देने पर उसे जब्त कर तलाकशुदा लड़कियों को दे दिया जाये । हालांकि यह तरीका भी उन्हें सही न्याय नहीं दिला सकेगा पर कुछ राहत तो दिलाई ही जा सकती है । सरकार को समाज के नेताओं से मिलकर राह निकालनी चाहिए ।

2. गर्भस्थ शिशु की योनि ज्ञान करने की विधि एमीनोसिन्थेसिस के दुरुपयोग की कुछ घटनाएं हुई हैं । यद्यपि सरकारी चिकित्सालयों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है किन्तु कुछ निजी प्रैक्टिस करने वाले

चिकित्सक इस पद्धति का उपयोग कर पति-पत्नी को शिशु की योनि का ज्ञान करा देते हैं, जिसके भयंकर दुष्परिणाम हो रहे हैं। भारतीय समाज में लड़कों के प्रति अतिरिक्त मोह तथा दहेज की कुप्रथा के कारण यह जान लेने पर कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, कुछ पति-पत्नियों ने गर्भपात करवा लिया इसके अतिरिक्त चिकित्सकों द्वारा यह पद्धति जिस प्रकार अपनाई जा रही है, उस से खुद-ब-खुद गर्भपात को संभावना उत्पन्न हो जाती है तथा गर्भस्थ शिशु की माता को गहरा मानसिक आघात पहुंच सकता है। भारतीय चिकित्सक परिषद् को इस तकनीक का दुरुपयोग धूर्त्त किस्म के चिकित्सकों द्वारा व्यवसायिक लाभ के चाहिये तथा सरकार को इस परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Sir, with your permission, I want to request the Minister to include the following two items in the next week's List of Business.

(i) Agitation of the teachers of the IIT, Kharagpur: They are agitating, sitting in dharna, having mass casual leave, issuing handbills etc. Interest of the IIT, its laboratory, library and computer are not being looked after. Rs. 27 lakhs had been spent as demurrage and customs duty in the last two years. Even the agreement which the Chairman concluded with the teachers has not been honoured. For all these, the teachers are agitating. The Government must immediately intervene and solve the genuine problem raised by the teachers.

(ii) Serious drought situation in the country, particularly West Bengal, where due to crop failure last year and severe drought this year, something like famine condition prevails in the districts of Midnapore, Bankura, Birbhum, Purulia, Nadia, 24-Parganas, Hassan, Murshidabad etc. There is no job in the villages; jute crop has already failed. Paddy seedlings are dead or dying. Immediate measures should be taken on war footing to save the country, and in West Bengal there may be a famine as took place in 1943.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member has made some allegations. I shall go through it. Whatever is not permissible will not be included. I shall go through the proceedings.

Now, Shri Rawat.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He cannot get a double chance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has requested. I have done it in the hon. Member's case also on so many occasions.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को भी सम्मिलित किये जाने की प्रार्थना करता हूं:—

1. विगत एक वर्ष के अन्तराल में हिमाचल व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई भयंकर बस दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस कारण-वश सैकड़ों लोग अकाल काल कवलित हुए हैं। क्षेत्रों में चलने वाली यात्री बसें सर्वथा अनुपयुक्त हैं तथा सड़कों की स्थिति सर्वथा असंतोषजनक है। इस चिन्ताजनक स्थिति के समाधान के लिये कोई रास्ता निकालना आवश्यक है।

अत: इस विषय पर सदन में चर्चा करनी चाहिए।

2. मानसून के समय पर न आने के कारण देश के कई भागों में भयंकर सूखे की स्थिति व्याप्त है। कई राज्य सरकारों द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गये हैं। इस विषय पर भी शीघ्र सदन में चर्चा होनी चाहिए।

अत: मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ दिया जाए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I am extremely grateful to the hon. members who have made valuable suggestions. I will go through the record and if I think it will be proper I will bring it to the notice of the Business Advisory Committee. This much only I can assure you.